न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 191/2022 दायर दिनाँक 27.05.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. धन्नाराम पुत्र सदाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी कलवानी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

सत्यमेव जयते

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री सुनिल मिश्रा वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 23.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 71 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि बारानी ग्राम गिरधारीपुरा, पटवार हल्का कलवानी भू–अभिलेख नि0 डीडवाना में अवस्थित है। जिसके पुराना खाता संख्या 50 जिसके वर्तमान खसरा सं0 71 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा महमका कस्टोडियन (राज्य सरकार) में चला गया तथा उसके बाद उक्त खसरा सं0 की भूमि राजस्थान सरका के राजस्व रेकर्ड में अंकित हो गयी। नकल जमाबंदी व खसरा मिलान पेश है।

यह है कि राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही उक्त उपरोक्त वर्णित भूमि सोनिया पुत्र चन्दा भाट का खसरा सं0 71 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा बरानी पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त रहा, उसके बाद सोनिया पुत्र चन्दा भाट के विधिक वारिसान का कब्जा काश्त रहा तथा उसके बाद मुन्नी पत्नि अब्दुल हकीम जाति मुसलमान भाट निवासी गिरधारीपुरा से जरिये ईकरारनामा बैचाण दिनांक 23.07.2018 को वादी ने खरीद कर ली, उसके बाद लगातार वादी के ही कब्जा काश्त की रही है। उसके पश्चात अब उक्त खसरा सं0 71 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से वादी धन्नाराम का 14 बीघा भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त रहा है। उसके बाद उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त अपने हिस्से पर निर्बाध रूप से बेरोक–टोक चला आ रहा है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :–

यह है कि मौजा गिरधारीपुरा पटवार हल्का कलवानी भू–अभिलेख नि0 डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि खसरा सं0 71 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा बारानी में से 14 बीघा भूमि ग्राम गिरधारीपुरा, पटवार हल्का कलवानी भू–अभिलेख नि0 डीडवाना में अवस्थित है खसरा सं0 71 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा बारानी जो वादी की कब्जा सुदा व वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार र्मा ए बी सी डी कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है, उक्त खसरा सं0 71 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा बारानी की भूमि में से 14 बीघा भूमि की [illegible] वादी के पक्ष में डिक्री जारी करने की कृपा करावें तथा इसी अनुरूप [illegible] नजरी नक्शा में अमल दरामद किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम गिरधारीपुरा, पटवार हल्का कलवानी भू—अभिलेख नि0 डीडवाना के पुराने खसरा सं0 50 के वर्तमान खसरा सं0 71 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा में से 14 बीघा भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **23.06.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 191/2022 दायर दिनाँक 27.05.2022

वादी

1. धन्नाराम पुत्र सदाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी कलवानी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 23.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री सुनिल मिश्रा वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम गिरधारीपुरा, पटवार हल्का कलवानी भू–अभिलेख नि0 डीडवाना के पुराने खसरा सं0 50 के वर्तमान खसरा सं0 71 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा में से 14 बीघा भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादी के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीक का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner